भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में 24.09.2020 को आयोजित संस्थान की 15 वी संयुक्त कर्मचारी परिषद (आई॰ जे॰ एस॰ सी.) की 7 वीं बैठक का कार्यवृत

भा॰कृ॰अनु॰प॰-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला के निदेशक तथा संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष डा॰ मनोज कुमार की अध्यक्षता में संस्थान के मुख्यालय में दिनांक **24.09.2019** को संस्थान की 15 वीं संयुक्त कर्मचारी परिषद की **7 वीं** बैठक का आयोजन किया गया । इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:

1. डॉ पंकज कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला सदस्य (कार्यालय पक्ष)
2. डा॰ ब्रजेश सिंह,अध्यक्ष सी.पी.बी.& पी.एच.टी,के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला सदस्य (कार्यालय पक्ष)
3. श्री राज कुमार, व॰ वि॰ एव॰ ले॰ अ॰, के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला सदस्य (कार्यालय पक्ष)
4. श्री जसपाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, के॰ आ॰ अ॰ सं॰ के, मोदीपुरम सदस्य (कार्यालय पक्ष)
5. श्री संदीप सिंह डुडी, प्रशासनिक अधिकारी, के॰ आ॰ अ॰ सं॰ शिमला सदस्य (कार्यालय पक्ष)
6. श्री सी॰ पी॰ शर्मा, स॰ वि॰ एव॰ ले॰ अ॰, के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला सदस्य (*Special invitee*)
7. श्री जोगिंदर सिंह ठाकुर, स॰ प्र॰ अ॰, के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला सदस्य सचिव (कार्यालय पक्ष)
8. श्री अश्वनी गुप्ता, व॰ लिपिक, के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला सचिव (कर्मचारी पक्ष)
9. श्रीमती श्याम लता बेक्टा, सहायक,के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला सदस्य (कर्मचारी पक्ष)
10. श्री नरेश चंद शर्मा, सी॰ तकनीकी अधिकारी, के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला सदस्य (स॰स॰क॰प॰)व के॰स॰क॰प॰ (क॰ प॰)
11. श्री धर्म प्रकाश गौतम, तकनीकी अधिकारी, के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला सदस्य (कर्मचारी पक्ष)
12. श्री शीश राम ठाकुर, तकनीकी अधिकारी, के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला सदस्य (कर्मचारी पक्ष)
13. श्री वीरेंद्र सिंह, एस॰ एस॰ एस॰, के॰ आ॰ अ॰ के॰, ग्वालियर सदस्य (कर्मचारी पक्ष)
14. श्री कन्हैया प्रसाद, एस॰ एस॰ एस॰, के॰ आ॰ अ॰ सं॰, शिमला सदस्य (कर्मचारी पक्ष)

बैठक में निदेशक एवं संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष डॉ मनोज कुमार, श्री जसपाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, के॰ आ॰ अ॰ सं॰ के, मोदीपुरम, सदस्य(कार्यालय पक्ष) तथा श्री वीरेंद्र सिंह, एस॰ एस॰ एस॰, के॰ आ॰ अ॰ के॰, ग्वालियर, सदस्य (कर्मचारी पक्ष) ने virtual mode से भाग लिया।

इस बैठक के शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और इस संस्थान की आई.एम.सी. के परिषद द्वारा मनोनीत सदस्य श्री देवेंद्र ठाकुर कूनपुरी जो संस्थान के दौरे पर आए

थे भी शामिल हुए। श्री ठाकुर का स्वागत पुष्प गुच्छ एवं हिमाचली पारंपरिक टोपी पहनाकर किया गया। निदेशक एवं संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष डॉ मनोज कुमार ने श्री ठाकुर का स्वाग्त virtual mode से किया। श्री ठाकुर ने अपने सम्बोधन में कहा कि किसानो को बीज आलू सस्ती दरो पर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जायेगा तथा आलू की खेती पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। श्री कूनपुरी का जबाब देते हुए अध्यक्ष, डा॰ मनोज कुमार ने बताया कि आलू की बीज उत्पादन प्रक्षेत्रों पर हाल में आयी PCN की समषया से जल्द ही निजात पाने के उपाय किये जा रहे है तथा एरोपोनिक्स तथा अन्य उन्नत तकनीक के उपयोग द्वारा आलू बीज उपलब्धता कई गुना की जा सकती है. इस कार्य के लिए राज्य सरकार को आगे आने की आवश्यकता है. तदोपरांत श्री कूनपुरी अपने दौरे पर निकाल गए।

बैठक के आरम्भ में श्री जोगिंदर सिंह ठाकुर, सदस्य सचिव (कार्यालय पक्ष) ने संस्थान के निदेशक एवं संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष तथा कार्यालय पक्ष एवं कर्मचारी पक्ष के सदस्यों का अभिनन्दन किया। तदोपरांत उन्होंने संस्थान के निदेशक एवं संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष डा॰ मनोज कुमार से अनुरोध किया कि वह बैठक को संबोधित करें ।

समिति के अध्यक्ष डा॰ मनोज कुमार ने बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों का पुनः स्वागत करते हुए संस्थान की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने, संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद की विशेष प्रासंगिता पर बल दिया. अपने अध्यक्षीय भाषण को समाप्त करते हुए उन्होंने कार्यालय पक्ष के सचिव से कहा कि वे पिछली बैठक में लिए गए निर्णयो की कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

<u>अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट</u>

3.1 प्रशासनिक वर्ग के कर्मचारियों की वरीयता सूची जारी करना ।

कर्मचारी पक्ष ने मांग की, कि प्रशासनिक वर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची हर साल जनवरी माह में निर्धारित समय पर परिचालित की जानी चाहिए । चर्चा में बताया गया की संस्थान द्वारा परिषद् की तर्ज पर परमार जजमेंट पर आधारित डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 4 मार्च, 2014 के आदेश के आधार पर प्रशासनिक वर्ग की वरीयता सूची जारी की थी जिस पर प्रशासनिक वर्ग के विभिन्न क्षेणी के कई कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अभ्यावेदनों पर परिषद से मार्गदर्शन मांगा गया था, जिसपर परिषद द्वारा प्रवर श्रेणी लिपिक एवं सहायक के अभ्यावेदनों पर संस्थान के स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इस बीच माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा review में परमार जजमेंट को गलत ठहराया गया जिस पर DoPT का आदेश आना बाकी है। चर्चा के बाद इस संबंध में निदेशक महोदय ने तुरंत नियमानुसार कारवाई करने के आदेश दिये और अभ्यावेदन का जवाब देने के आदेश दिए तथा प्रशासनिक/कुशल सहायी कर्मचारियों की पूर्व वरिष्ठता सूची (last final) संस्थान की website में दुरुस्त / upload करने के निर्देश दिये।

कारवाई:स॰ प्र॰ अ॰ (E-1)

4.4 संस्थान के आवासीय कालोनी ब्लॉक नंबर –A, B, C की मरम्मत संबंधित

चर्चा मेँ बताया गया कि प्रभारी अभियंत्रण ने सूचित किया है कि कार्य प्रगति पर है। निदेशक महोदय ने इस बारे में शीघ्रकार्य पूर्ण करने के आदेश पारित किए ।

कारवाई: इंजीन्यरिंग सेक्शन/कार्य एवं अनुबंध

4.6 नाईट डयूटी allowances से संबंधित

चर्चा में बताया गया कि वित अनुभाग से पता चला है कि केंद्राध्यक्ष ग्वालियर को बिल आवश यक कार्रवाई करने हेतू वापिस भेज दिए गए है तथा जालंधर केंद्र से प्राप्त नाईट डयूटी allowances के बिल का भुगतान कर दिया गया है। निदेशक महोदय ने कारवाई करने के आदेश पारित किए ।

कारवाई:केंद्राध्यक्ष
ग्वालियर

4.7 आवासीय कालोनी में White wash करवाने संबंधित

चर्चा मेँ बताया गया कि इस संबंध में कार्य प्रगति पर है जैसे ही फ़ंड प्राप्त होंगे , वैसे ही जल्द से जल्द कार्य किया जायेगा । निदेशक महोदय ने कारवाई करने के आदेश दिये ।

कारवाई:इंजीन्यरिंग सेक्शन

4.8 सी॰पी॰आर॰आई॰ का साईन बोर्ड सही करने संबंधित

चर्चा मेँ बताया गया कि साईन बोर्ड लगाने के आदेश दे दिए गए थे परन्तु due to financial crunch प्रस्ताव को लंबित कर दिया गया है। इस पर निदेशक महोदय ने financial position improve होने पर पुन विचार करने का कहा।

कारवाई:इंजीन्यरिंग सेक्शन

5.4 ग्वालियर केंद्र में drivers को बैठने की सुविधा के संबंध में

केंद्राध्यक्ष ग्वालियर द्वारा समस्या का निस्तारण कर दिया गया है।

5.8 जालंधर केंद्र के आवासीय भवनों की छतों पर रिपेयर व रिहायशी मकानों में सफेदी का कार्य, टाइप 1 से 3 से संबंधित।

चर्चा में बताया गया कि संबंधित कार्यों के प्राकलन तैयार करने हेतु अभियंत्रिकी अनुभाग द्वारा असमर्थता व्यक्त करने के बाद सीपीडब्लयूडी जालंधर को पत्र जारी किया गया है, तथा इस संबंध में सीपीडब्लयूडी द्वारा केन्द्र पर निरीक्षण नहीं किया है। केन्द्र सीपीडब्लयूडी जालंधर से सम्पर्क कर रहा है ।

कारवाई: केंद्राध्यक्ष जालंधर

5.9 जालंधर केंद्र के आवासीय भवन के पास स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय ने केंद्राध्यक्ष को इस बारे मे प्रोपोसल/ कोटेशन के आधार पर कार्य करवाने के आदेश दिये ।

कारवाई: केंद्राध्यक्ष जालंधर

5.10 जालंधर केंद्र के टाइप 2 के पीछे सीवरेज गटर के कवर टूटे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय ने केंद्राध्यक्ष को इस बारे मे छोटे छोटे कार्य अपने स्तर पर करवाने के आदेश दिये ।

कारवाई: केंद्राध्यक्ष जालंधर

5.11 जालंधर केंद्र में आवासीय क्वार्टर टाइप 1, 2 और 3 में पुराने सीमेंट फर्श हैं जो टूट गए हैं और समय के साथ खराब हो गए हैं।

संबंधित कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने हेतु अभियंत्रिकी अनुभाग द्वारा असमर्थता व्यक्त करने बाद सीपीडब्लयूडी जालंधर को पत्र जारी किया गया है, तथा इस संबंध में सीपीडब्लयूडी द्वारा केन्द्र पर निरीक्षण नहीं किया है। सीपीडब्लयूडी से लगातार सम्पर्क किया जा रहा है ।

निदेशक महोदय ने जालंधर केंद्र के कई समसायाओ को देखकर कहा कि श्री संदीप सिंह डुडी, प्रशासनिक अधिकारी जालंधर केंद्र का दौरा कर समस्याओ का समाधान निकाले ।

कारवाई: केंद्राध्यक्ष जालंधर/ प्रशासनिक अधिकारी

6.1 **Pensioner के मेडिकल क्लेम/re-imbursement में देरी ।**

चर्चा में बताया गया कि ग्वालियर केन्द्र के पूर्व अध्यक्ष डॉ वी. एस. कुशवाह का मैडिकल क्लेम कुछ तकनीकी कारणों से वापिस किया गया है, जैसे ही क्लेम पुन: आता है, आवश्यक कार्रवाई कर दी जाएगी ।

कारवाई: बिल एवं कैश और वित्त एवं लेखा अनुभाग

6.2 ग्वालियर केंद्र के श्री मुन्ना सिंह कुशल सहायी कर्मचारी की कार्यालय में ड्यूटी के दौरान कार्य करते हुये सीढ़ी से गिरने के कारण निधन होने के सन्दर्भ में व हरी सिंह कुशवाह ग्रेड एस॰ एस॰ एस॰ की मृत्यु के संबंध में।

चर्चा में बताया गया की अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है ।

कारवाई: केंद्राध्यक्ष ग्वालियर/ स॰ प्र॰ अ॰ (E-1)

6.3 कुफ़री केंद्र में आलू को बेचने के सम्बंध में

चर्चा में बताया गया उत्पादितखाद्य मुख्यालय के स्टाफ को पूर्व निर्धारित दरों पर आवंटित किया गया है तथा भविष्य में भी मुख्यालय व केन्द्रके स्टाफ में समिति द्वारा निर्धारित दरों पर वितरित किया जाएगा।

कारवाई: केंद्राध्यक्ष

6.5 सेवा पुस्तिका की प्रतिलिपि देने के सम्बंध में

चर्चा में बताया गया Institute grant में धन की कमी व COVID -19 माहमारी के चलतेदस्तावेज scan नही करवाए जा सके। इस प्रकरण पर अनुभाग स्तर पर ही कार्रवाई चल रही है। निदेशक महोदय ने प्राथमिकता पर कारवाई करने के आदेश दिये।

कारवाई: स॰ प्रशासनिक अधिकारी (स्था -1)

6.7 पटना केंद्र कें नार्थ ब्लॉक टाईप-3 मे सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में

चर्चा में बताया गया की पानी की समस्या का निवारण कर दिया गया है तथा इस बारे में यह भी बताया गया कि यह मकान रहने के लिये सुरक्षित नहीं है। अत: आवंटन योग्य नही है।

कारवाई: स० प्र० अधि० (W&C)/केंद्राध्यक्ष पटना

6.8 मेडिकल identification कार्ड बनाने/सुविधा देने के सम्बंध में

अस्पतालों को प्राधिकृत करने के संस्थान के प्रस्ताव पर SMD/ परिषद से कोई दिशानिर्देश प्राप्त नही हुए है। निदेशक महोदय ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को इस पर SMD से follow-up करने हेतु कहा।

कारवाई: डीडीओ /स॰ प्रशासनिक अधिकारी (स्था -1)

6.9 अगस्त माह मे सेवानिवृत हुए कर्मचारियो को पेंशन न मिलने के सम्बंध में

परिषद के दिशा निदेर्शानुसार देहरादून व करनाल स्थित परिषद के संस्थानों के अधिकारियों से पूर्व में कार्य पूर्ण करवाया गया तथा यह अवगत करवाया गया कि अब तो संस्थान में SFAO की तैनाती भी हो चुकी है। इस प्रकार की समस्या अब नही आएगी। इस ब्यवस्था पर सभी ने संतोष व्यक्त किया।

6.10 सभागार में ventilation के सम्बंध में

Due to financial crunch प्रस्ताव को लंबित रखा गया है।

कारवाई: स॰ प्र॰ अ॰ (भंडार)/ इंजीन्यरिंग सेक्शन

इसके बाद श्री अश्वनी गुप्ता, सचिव (कर्मचारी पक्ष) ने बैठक के नए मुदो पर एक - एक करके चर्चा की गई ।

<u>नई एजेन्डा मदे</u>

1. **जालंधर केंद्र में स्टाफ को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बंध में**

जालंधर केंद्र के स्टाफ का यह कहना है कि उन्हे पीने के पानी की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जहां से वह पानी लाते हैं वह पानी पीने योग नहीं है। चर्चा के बाद अध्यक्ष महोदय ने केंद्राध्यक्ष जालंधर को आदेश पारित किए कि Admn. Block में water cooler/purifier लगवाया जाये ।

कारवाई: केंद्राध्यक्ष जालंधर

2. **जालंधर केंद्र के Entrance की सफाई के सम्बंध में।**

केंद्र के Entrance में बहुत ही गंदगी फैली हुई हैं तथा बाहर के लोग भी वहाँ आकर गंद फैला देते हैं। जिससे कई तरह की बीमारियाँ फैलने का खतरा बना रहता है। इस प्रकरण पर निदेशक महोदय ने यह निर्णय लिया कि गंदगी को साफ करवाने के लिये labour contract /Field Farm contract से कार्य करवाया जाये।

कारवाई: केंद्राध्यक्ष जालंधर

3. **जालंधर केंद्र में बने शोचालय की मुरम्मत करवाने के सम्बंध में।**

जालंधर केंद्र में शोचालय की हालत बहुत ही दयनीय है तथा वहाँ लगे शोचालय के दरवाजो की मुरम्मत होना अति आवश्यक है। चर्चा के बाद अध्यक्ष महोदय ने केंद्राध्यक्ष **जालंधर** को शोचालय व दरवाजो की मुरम्मत करवाने के आदेश दिये ।

कारवाई: केंद्राध्यक्ष जालंधर

4. **जालंधर के आवासीय कालोनी के सभी भवनों के चारों तरफ उगी घास की सफाई करवाने के सबंध में।**

केंद्र के स्टाफ का यह कहना है कि जहां वह रहते हैं वहाँ आवासीय कालोनी के चारों तरफ घास उगी हुई है जिसमें साँप इत्यादि के छुपे होने का खतरा बना रहता है। निदेशक महोदय ने यह निर्णय लिया कि उक्त कार्य को labour contract /Field Farm contract से कार्य करवाया जाये ।

कारवाई: केंद्राध्यक्ष जालंधर

5. **केंद्रो के AAO को डोंगल उपलब्ध करवाने के सम्बंध में।**

केंद्र के स्टाफ का यह कहना है कि मुख्यालय के सभी AAO को internet बाधित होने पर कार्य हेतू डोंगल दिये गये हैं। कर्मचारी पक्ष ने अनुरोध किया है कि केंद्रो के AAO को भी डोंगल दिये जाये । चर्चा के बाद इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने अपनी सहमति प्रदान की कि केन्द्रों पर कार्यरत Head & AAO को डोंगल उपलब्ध करवाए जाएं। अत सभी संबंधित जिनके पास उक्त व्यबस्था नही है, डोंगल की खरीद हेतु आवश्यक कार्यवाई कर सकते है।

कारवाई: सभी केंद्राध्यक्ष/ सहायक प्रशासनिक अधिकारी (भण्डार)

6. **स्टाफ को Sanitizer, Mask, Hand wash और gloves उपलब्ध करवाने**

के सम्बंध में।

इस सम्बंध में कर्मचारी पक्ष का कहना था कि मुख्यालय व केंद्रो में कर्मचारी बहुत दूर दूर से आते है, जिसके लिये उन्हे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इत्यादि का सहारा लेना पड़ता है। करोना के संक्रमन से बचने के लिये व स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए Sanitizer, Mask, Hand wash और gloves इत्यादि की सुविधा दी जानी अत्यन्त आवश्यक है। चर्चा में बताया गया कि संस्थान में thermal scanning/ sanitizer गेट पर उपलब्ध करवाए गए है। Institute grant में धन की कमी के चलते Sanitizer, Mask, Hand wash और gloves सभी को उपलब्ध करवाना संभव नहीं है। यह व्यबस्था सभी कर्मी अपने स्तर पर करें।

7. **प्रतिवर्ष आयोजित होने वॉलीबॉल (शूटिंग) की ट्रायल के सम्बंध में।**

कर्मचारी पक्ष का कहना था कि मेरठ परिसर के स्टाफ ने उन्हें बताया कि पिछले कुछ वर्षों से वॉलीबॉल(शूटिंग) की ट्रायल एक महिला कोच द्वारा ली जा रही है जबकि वे केवल वॉलीबॉल(स्मैशिंग) की खिलाड़ी रही है और उन्हे संभवत: वॉलीबॉल(शूटिंग) के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है जिसके कारण टीम का चयन एक तरह से बगैर किसी पैमाने के केवल कुछ लोगों की इच्छा से हो रहा है। लंबी चर्चा के बाद अध्यक्ष महोदय ने बताया गया कि कोच व संस्थान मे अच्छे अनुभवी खिलाडी जो अब वॉलीबाल टीम मे नही खलते, के र्मागदर्शन में टीम का चयन होता है जिसके अच्छें परिणाम भी देखने में आए है। अत: इस में फेर बदल करना ठीक नहीं है।

ii) **खेल विजेता के लिए सम्मान के सम्बंध में।**

कर्मचारी पक्ष का कहना था कि जो विजेता खेल मे मेडल/ईनाम जीत कर लाते है उन विजेताओं को सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र दिये जाने चाहिए । इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने आदेश पारित किए कि विजेताओं को सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र दिये जाये।

कारवाई: चीफ डिमिशन (स्पोर्ट्स)

8. **Micro Observer को TA/DA की अदायगी के सम्बंध में।**

कर्मचारी पक्ष का कहना था कि इलैक्शन कमिश्नर के निर्देशानुसार संस्थान के अधिकारियों/ कर्मचारियो को चुनाव करवाने के लिए भेजा जाता है तथा उन्हें दूर दराज के ईलकों में इलैक्शन करवाने होते है। जिसके लिये अधिकारियों/ कर्मचारियो को अपनी जेब से खर्चा वहन करना पड़ता है, जिसका भुगतान मई 2019 से अभी तक नहीं हुआ हैं। बैठक में इस मुददे पर चर्चा करते हुए यह बताया गया की इसपर पुनः डीसी शिमला से कोई पत्र आया है अतः निर्णय लिया गया कि मामले को डीसी शिमला -रिटर्निंग ऑफिसर-कम-एसी के सामने जल्द भुगतान हेतु लाया जाय।

कारवाई : मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ स॰ प्र॰ अ॰ (E-1)

9. **संस्थान के अधिकारियों/ कर्मचारियो को अक्तूबर माह से TA/DA न मिलने**

के सम्बंध में।

कर्मचारी पक्ष का कहना था कि कर्मचारियों के TA/DA की अदायगी October माह से नहीं हुई है। उन्होंने अनुरोध किया कि स्टाफ को TA/DA की अदायगी जल्द से जल्द कारवाई जाये । निदेशक महोदय ने आदेश पारित किए कि TA/DA की अदायगी बजट देखकर जल्द से जल्द की जाये।

कारवाई : व॰ वि॰ एव॰ ले॰ अ॰/ स. प्र. अधि. (B&C)

10.**प्राइवेट मेडिकल चिकित्सको को प्राधिकृत चिकित्सकों की सूची में शामिल करने के सम्बंध में।**

कर्मचारी पक्ष का कहना था कि डॉक्टर के॰ के॰ जैन व डॉक्टर अनिल मेहता जो की कल्याण समन्वय समिति, शिमला (Welfare Coordination Committee, Shimla) के पैनल में है उन्हे केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला के पैनल में शामिल किया जाये । स्टाफ की बात सुनने के बाद निदेशक महोदय ने यह निर्णय लिया कि अगले वर्ष केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला के पैनल में वो डॉक्टर जो कार्य नही कर रहे है या जिनसे CPRI कर्मचारी परामर्श नही ले रहे है, उनके स्थान पर डॉक्टर के॰ के॰ जैन व डॉक्टर अनिल मेहता को शामिल करने हेतू कदम उठाए जाएं तथा लिस्ट में सभी डॉक्टर के फोन नंबर भी अंकित किये जाये।

कारवाई : स. प्र. अधि. (B&C)

11.**कुफ़री केंद्र से संस्थान में बेचे जाने वाले आलू लछा और आलू फ्रेंच फ्राइस के सम्बंध में**

कर्मचारी पक्ष का कहना था कि कुफ़री केंद्र से आलू लछा रूपये 200/- प्रति किलो और आलू फ्रेंच फ्राइस रूपये 400/- प्रति किलो बेचे जाते है जो कि मार्केट रेट से बहुत अधिक हैं। अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकरण पर कहा कि जब भी संस्थान अपने products कर्मचारियों को बेचे तो दरें reasonable रखी जाएं।

कारवाई: केंद्राध्यक्ष कुफ़री

अंत में श्री जोगिंदर सिंह ठाकुर, सदस्य सचिव (कार्यालय पक्ष) ने संस्थान के निदेशक एवं संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष तथा समस्त कार्यालय पक्ष एवं कर्मचारी पक्ष के सदस्यो का धन्यवाद किया। अध्यक्ष व सदस्यों के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

सचिव, संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद(कार्यालय पक्ष) सचिव, संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद,(कर्मचारी पक्ष)